न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 22/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/ 139

बउनवानीः– 1. प्रभू पुत्र रामदेवा जाति बैरवा निवासी कुश्तला तहसील सवाईमाधोपुर
2. मोती पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी कुश्तला तहसील सवाईमाधोपुर
3. शंकर पुत्र रामदेवा जाति बैरवा निवासी कुश्तला तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रामकुंवार बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला कुश्तला तह0 सवाईमाधोपुर
2. कैलाशी पत्नि प्रभूलाल बैरवा नि0 बैरवा मोहल्ला कुश्तला तह0 सवाईमाधोपुर
3. चिरंजी पुत्र मेवालाल बैरवा नि0 इन्द्रगढ रोड़ माताजी का खेमडा कुश्तला
4. राजेन्द्र पुत्र मेवालाल बैरवा नि0 इन्द्रगढ रोड़ माताजी का खेमडा कुश्तला
5. रामदयाल पुत्र मेवालाल बैरवा नि0 इन्द्रगढ रोड़ माताजी का खेमडा कुश्तला
6. राजन्ती पुत्री मेवालाल पत्नि रमेश बैरवा निवासी आदर्श नगर बी सवाईमाधोपुर
7. हेमराज पुत्र किशनलाल बैरवा निवासी कुश्तला तहसील सवाईमाधोपुर
8. तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 87 दिनांक 18.7.2023 वाके ग्राम कुश्तला तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री रघुनन्दन सिह राजावत — वकील अपीलान्ट
2. श्री नेमीचन्द बैरवा — वकील रेस्पो0 संख्या 1–8

–: निर्णय :– दिनांक **14.11.2024**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 87 निर्णय दिनांक 18.7.2023 वाके ग्राम कुश्तला तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 87 वाके ग्राम कुश्तला के साबिक ख0न0 411 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा,ख0न0 413 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, जिसके हाल ख0न0 मुताबिक जमाबन्दी ग्राम कुश्तला सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 163 मे दर्ज किता 14 रकबा 2.11 है0 साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 मे किशन पुत्र गणेश, नारायण पुत्र लालू, व कंवरया पुत्र सुक्खा के हिस्सा बराबर नाम दर्ज थी। सेग्रीगेशन जमाबन्दी बनाते समय पटवारी हल्का की लिपिकीय त्रुटि के कारण खातेदारान का हिस्सा गलत दर्ज हो गया जिसे शुद्व करवाने के लिए मंहगाई राहत कैम्प कुश्तला में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शुद्वि पत्र नियम 166 के तहत भरा गया एवं शुद्वि पत्र भरा जिसपर भू0अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19.5.2023 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत गया। उक्त शुद्वि पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामा0 संख्या 87 दिनांक 24.5.2023 को दर्ज किया जाकर दिनांक 24.6.2023 को भू0अभिलेख निरीक्षक के समक्ष पेश किये जाने पर भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा विपरीत टिप्पणी कि " त्रुटि सेटलमेंट से पूर्व की है इसलिए एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत आदेश प्राप्त होने पर शुद्वि की जावे। जबकि यह त्रुटि सेंटलमेंट से पूर्व की ना होकर सेग्रीगेशन के समय जमाबन्दी बनाते समय जमाबन्दी मे गलत हिस्साकशी करने से हुई थी किन्तु उक्त नामा0 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 18.7.2023 को खारिज कर दिया है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम कुश्तला की साबिक जमाबन्दी सम्वत 2026–29 मे दर्ज साबिक खसरा नम्बर 411 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, 413 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा अपीलान्ट के पिता बाबा, काका,किशना पुत्र गणेश ,नारायण पुत्र लालू, कंवरया पुत्र सुक्खा की संयुक्त खातेदारी की थी जिसमे सभी का हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज रहा है। यह ... बाद सेंटलमेट जमाबन्दी आधार वर्ष 2059 मे पूर्व खातेदार किशन्या के स्थान पर उसके वारिस मदनलाल, गुलाब चन्द पिसरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:36 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 22/2023 उनवानी प्रभू बनाम अर्जुन वगै.)

किशन्या व मंगली बेवा किशन्या तथा पूर्व खातेदार नारायण के दो पुत्र रामदेवा व मोती है। रामेदवा फोत हो जाने से प्रभू शंकर पुत्र रामदेवा के नाम व मोती पुत्र नारायण तथा इसी तरह पूर्व खातेदार कवंरया के वारिस मेवा, रामकुंवार,किशनलाल थे। रामकुंवार के फोत होने पर अर्जुनलाल पुत्र रामकुंवार, मेवालाल पुत्र कंवरया, हेमराज पुत्र किशनलाल के नाम दर्ज है जिसमे हिस्सा बराबर दर्ज है। यह है कि आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत् 2059 मे दर्ज सहखातेदारान मे से मंगली, मदन,गुलाबचन्द ने अपना हिस्सा 1/3 कैलाशी पत्नि प्रभू को अन्तरित कर दिया तथा अपीलान्ट प्रभू, शंकर के पिता रामदेवा 1/6 व मोती पुत्र नारायण 1/6 का हिस्सेदार है जो 1/3 का हिस्सेदार था कवंरया के तीन पुत्र मेवा,रामकुंवार,किशनलाल 1/9, 1/9 के हिस्सेदार थे जिनका निधन हो गया है। रेस्पो0 संख्या 4,5,6,7 मेवा के वारिसान है जिनका जैर आराजीयात मे 1/36 ,1/36 हिस्सा है तथा रेस्पो0 संख्या 2 रामकुंवार का पुत्र है जिसका 1/9 हिस्सा है। इस तरह रेस्पो0 संख्या 8 हेमराज जो किशन लाल का पुत्र है का 1/9 हिस्सा है।

यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.5.2023 को शुद्धि पत्र स्वीकृत कर लिया किन्तु उसी शुद्धि पत्र के आधार पर भरा गया नामा0 संख्या 87 आदेश जैर अपील को भू0अभिलेख निरीक्षक की गलत रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया है जो विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी द्वारा दी जाने पर प्राप्त होने पर दिनांक 20.9.2023 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की जाकर जानकारी से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उनवानी अपील मे संलग्न शुद्धि पत्र दिनांक 19.5.2023 के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने बाबत सभी रेस्पो0 पूर्ण रूप से सहमत है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 87) पर संबंधित आईएलआर की रिपोर्ट मे यह स्पष्ट अंकित किया है कि पटवारी हल्का द्वारा राजस्व कैम्प मे लेण्ड रिकार्ड नियम 166 के तहत शुद्धिपत्र भरा गया, लेकिन अब जानकारी मे आया है कि यह गलती सेटलमेंट से पूर्व की है। अतः भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश प्राप्त होने पर शुद्धि किये जाने बाबत टिप्पणी अंकित की जाने पर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के संबंध मे पुनः जॉच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 87 निर्णय दिनांक 18.7.2023) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि यदि सेग्रीगेशन के दौरान गलत इन्द्राज होने का प्रकरण बनता है तो नियमानुसार सही करावे ओर यदि सेटलमेंट से पूर्व की गलती पायी जाती है तो अपीलान्ट को सक्षम न्या[illegible]कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को लि[illegible]कर खुले [illegible]लय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:36 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner